

संख्या - २०८० / १५-७-०७-१०(८०) / २००७

प्रेषक

मनता शीघ्रात्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-२ समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (२) अनुबाद

लक्ष्यनाड़ा: दिनांक २३ जनवरी, २००८

विषय :- सेट जोपक इंसिलश बीडिएम स्कूल महोबा को सीठीय० एस० ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीठीय० एस० ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निवेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रक्षान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेंवारी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प०माध्यमिक शिक्षा परिषद् / बोर्डिंग शिक्षा परिषद् द्वारा भांचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्युकेशन नईदिल्ली / कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सटीफिकेट इकजामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परिक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ० प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त हिस्तान संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर मानविक विद्यालयी के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निधारित प्रपत्र पंजिकारों में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2— उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने वे किसी प्रकार की दुर्क या शिथिलता घरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

मददीय

(नमस्ता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पुस्तकालय एवं दिनांक लिखेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2— माध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, झाँसी मण्डल झाँसी ।
- 3— जिला विद्यालय निरीक्षक, महोदय ।
- 4— निरीक्षक, आगरा भारतीय विद्यालय उम्प्र०, लखनऊ ।
- 5— प्रबंधक, सेट जोखक होमिलेश मीडिएम स्कूल महोदय ।
- 6— गार्ड दुक ।

आङ्का से

मम
(नमस्ता श्रीवास्तव)
उप सचिव। —


Manager
St.Joseph's Eng.Med.Sen.Sr.School
Station Road-MAHOBIA(U.P.)
PIN-210427